



क्रमांक 116/बै.प्र./स्थायी समिति/2017

बिलासपुर दिनांक 08.09.2017


## ॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 114/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2017 दिनांक 08.09.2017 द्वारा डॉ० शैलेन्द्र कुमार, आचार्य को विद्यापरिषद में आचार्य श्रेणी से सदस्य नामांकित किया गया है।

कुलपति एवं अध्यक्ष विद्यापरिषद द्वारा डॉ० शैलेन्द्र कुमार, सदस्य विद्यापरिषद को विद्यापरिषद की स्थायी समिति में सदस्य नामांकित किया जाता है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 29 एवं परिनियम क्रमांक-38 के तहत निर्मित विनियम के प्रावधानानुसार, विद्यापरिषद की ओर से विद्यापरिषद की स्थायी समिति में नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 03 वर्ष के लिए अथवा विद्यापरिषद के सदस्य बने रहने तक के लिए, जो भी पहले हो, होगा। उक्त अनुक्रम में अधिसूचना क्रमांक 109/बै.प्र./स्थायी समिति/2015 दिनांक 11.12.2015 द्वारा नामांकित सदस्यों का अथवा इस प्रावधानांतर्गत समय-समय पर रिक्तियों पर नामांकित सदस्यों का कार्यावधी प्रभावी होगी।

आदेशानुसार


  
कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ०क्रमांक 117/बै.प्र./स्थायी समिति/2017

बिलासपुर दिनांक 08.09.2017

### प्रतिलिपि -

01. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
02. कुलपति के सचिव की ओर कुलपति महोदया के सूचनार्थ प्रेषित।
03. डॉ० शैलेन्द्र कुमार, आचार्य सिविल इंजीनियरिंग को सूचनार्थ।
04. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।

  
कुलसचिव (कार्यवाहक)